झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०)ल०सिं० दु०– 07 / 2013 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई रूपांकण प्रमण्डल, दुमका शिविर–देवघर द्वारा उक्त प्रमण्डल में पदस्थापन अवधि में कराये गये चेकडैम निर्माण कार्य की जाँच विभागीय उड़नदस्ता से करायी गयी। उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में अनियमित भुगतान / अनियिमतता की पुष्टि के आलोक में श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में निम्न आरोप गठित करते हुए स्पष्टीकरण की माँग की गई।

(क) कटिया नाला श्रृखंलाबद्ध चेकडैम योजना में एकरारनामा के अनुसार 05 अद्द चेकडैम, 08 अद्द पंप हाउस एवं 24 अद्द भैट का निर्माण करना था, परन्तु योजना के एक पंप हाउस 24 अद्द भैट एवं सभी पंप हाउस में खिड़की दरवाजा के कार्य कराये बिना अंतिम विपत्रीकरण के लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी है।

(ख) इस योजना में भुगतान किये गये कार्यों में दो पंप हाउस (प्लीन्थ तल के उपर का भाग) Toe wall, side wall एवं बोल्डर पिचिंग का कार्य मौजूद नहीं है। योजना में Toe wall, side wall , बोल्डर पिचिंग एवं पंप हाउस मद में क्रमशः रूपये 97281.00, रूपये 31580.00, रूपये 18880.00 का भुगतान किया गया। इस प्रकार इस योजना के "वैसे कार्य जो मौजूद नहीं है" में कुल रूपये 147741.00 का भुगतान किया गया है, जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी है।

2. श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री श्रीवास्तव द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में अपने ऊपर लगाये गये आरोप को गलत कहते हुए आरोपमुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु रखे गये तथ्य के सापेक्ष कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि उड़नदस्ता द्वारा साक्ष्य के आधार पर आरोप प्रतिवेदित किया गया है। सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री श्रीवास्तव के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम–139 अन्तर्गत प्रस्तावित दण्ड देय पेंशन से 15% की कटौती 10 वर्षों के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री श्रीवास्तव का यह कहना गलत है कि कटिया नाला चेकडैम एवं पंप हाउस निर्माण का काम उन्होनें कराया एवं कराये गये वास्तविक कार्य के अनुसार ही भुगतान भी किया गया, परन्तु उसे असमाजिक तत्वो द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। क्योंकिश्री श्रीवास्तव, तदेन कनीय अभियंता ने अपने द्वितीय कारण पृच्छा में उक्त योजना का असमाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिये जाने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। यदि असमाजिक तत्वों द्वारा उक्त योजना को क्षतिग्रस्त किया गया होता तो संबंधित प्रमण्डल द्वारा इसके संबंध में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी होती।

सम्यक् समीक्षोपरान्त श्री श्रीवास्तव, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता के उपर लगाये गये आरोपों एवं उड़नदस्ता के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए उनके द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए निम्न दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, तदेन कनीय अभियंता सम्प्रति सहायक अभियंता को पेंशन नियमावली के नियम– 139 के तहत् 10% पेंशन में 10 वर्षों के लिए रोक।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3857 राँची/दिनांक 07/09/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची /श्री राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत सहायक अभियंता C/o श्री दशरथ खवाड़े, मुहल्ला– पुरनदाहा, देवघर, झारखण्ड/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/09/2018
(विनय कुमार)
सरकार के अवर सचिव